

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर ।

क्रमांक:- 2451

दिनांक:- 21/08/2018

उपवन संरक्षक  
अजमेर ।

विषय-बोराज से चामुण्डा सडक के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बोराज से चामुण्डा सडक किमी 0/0 से 1/800 के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति के संबंध में फोरस्ट एक्ट 1980 के तहत समस्त प्रकरण आन लाईन किया गया था । नोडल आफिस फोरस्ट कन्जर्वेशन राजस्थान सरकार ने अपने ई-मेल द्वारा बताया है कि इस प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज सभी प्रकार से सही है तथा इन दस्तावेजों की हार्ड कापी डी एफ ओ व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु कहा है । अतः इस प्रस्ताव की सभी दस्तावेज आपके कार्यालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

अतः आपसे निवेदन है कि निम्नानुसार शीघ्र स्वीकृति दिलवाने की कृपा करावे ।

संलग्न:-हार्ड कापी



भवदीय,

( याद्वराम )

अधिशाषी अभियन्ता,  
सां.नि.वि. जिला खण्ड,  
अजमेर ।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर ।

क्रमांक:- 2450

दिनांक:- 21/8/2018

श्रीमान् जिला कलेक्टर,  
अजमेर ।

विषय-बोराज से चामुण्डा सडक के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।  
प्रसंग:-आपके कार्यालय का पृष्ठांकित पत्र क्रमांक कअ/सम/18/9138 दि. 10.08.2018 एवं  
इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 21.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बोराज से चामुण्डा सडक किमी 0/0 से 1/800 के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति के संबंध में फोरस्ट एक्ट 1980 के तहत समस्त प्रकरण आन लाईन किया गया था । नोडल आफिस फोरस्ट कन्जर्वेशन राजस्थान सरकार ने अपने ई-मेल द्वारा बताया है कि इस प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज सभी प्रकार से सही है तथा इन दस्तावेजों की हार्ड कापी डी एफ ओ व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत कर एफ आर ऐ प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रकरण को प्रस्तुत करें, ताकि समस्त दस्तावेजों को आन लाईन किया जा सके

अतः इस प्रस्ताव के सभी दस्तावेज आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर आपसे निवेदन है कि प्रकरण में एफ आर ऐ प्रमाण पत्र जारी कराने की कृपा करावे ।

संलग्न:-हार्ड कापी

भवदीय,

( यादराम )

अधिशाषी अभियन्ता,  
सा.नि.वि. जिला खण्ड,  
अजमेर ।

TAS  
23/8/18  
प्राप्ति लिपि  
केन्द्रीय शासक-भारत सरकार  
कलेक्टर अजमेर